न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02/2023

प्रार्थी–

भाखरराम पुत्र मानाराम जाति कुम्भार निवासी मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द पंचायत समिति धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
2. हरीराम पुत्र सोनाराम
3. किशनी पत्नी सोनाराम जाति विश्नोई निवासी मीठड़ा खुर्द तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध प्रस्ताव सं. 05 दिनांक 14.11.1999 जिसके तहत अप्रार्थी सं. 2 के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द द्वारा पट्टा संख्या 8 दिनांक 14.11.1999 जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार रामावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हितेश कुमार गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 30.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पिता के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम मीठड़ा खुर्द में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 05 दिनांक 14.11.1999 जारी किया गया। इस भूख[illegible] नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 125 [illegible] गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पचायतीराज नियम 1996 के प्राव[illegible] की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के पूर्वज सोनाराम ने प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य भूखण्ड का पट्टा प्राप्त कर लिया। जिसकी जानकारी तत्समय प्रार्थी को नहीं हुई लेकिन अर्सा 10 दिन पूर्व अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के कब्जे में दखलदांजी करते हुए निर्माण करवाने पर आमाद हुए। इस पर अप्रार्थीगण द्वारा बताया कि उक्त भूखण्ड का पट्टा एवं कब्जा हमारा है तत्पश्चात प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे से सम्बिधित कागजात का पता किया तब ग्राम पंचायत ने बताया कि इस पट्टे से सम्बन्धित इस कार्यालय द्वारा कोई भी पट्टा जारी नहीं हुआ है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा नियम 145 के तहत आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात मौका निरीक्षण फीस जमा करने एवं ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर पट्टे जारी करने वाले स्थल का निरीक्षण करना होता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा गलत जारी किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 05 दिनांक 14.11.1999 न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं दूषित होने से निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। [illegible] अप्रार्थीगण द्वारा बहस में बताया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति [illegible] उक्त पट्टा पुनः नये सिरे से शुरू कर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है तथा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपति व उजर ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5\. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पिता के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम मीठड़ा खुर्द में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 05 दिनांक 14.11.1999 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 135 वर्गगज दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी द्वारा नियम 145 के तहत आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण फीस कोष कार्यालय में जमा एवं ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर पट्टे जारी करने वाले स्थल का निरीक्षण करना होता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस में बताया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से उक्त पट्टा पुनः नये सिरे से शुरू कर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है तथा अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपति व उजर ऐतराज नहीं है। सरपंच, ग्राम पंचायत एवं ग्राम विक[illegible]कारी, मीठड़ा खुर्द द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर [illegible]से सम्बधित ग्राम पंचायत में कोई अभिलेख नहीं है ना ही इस ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में ग्राम पंचायत मीठड़ा द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 4 दिनांक 21.05.2018 एवं उसके अनुसरण में उल्लेखित की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत मीठड़ा खुर्द द्वारा बैठक दिनांक 14.11.1999 में पारित प्रस्ताव सं. 5 एवं उसके अनुसरण में पट्टा सं. 05 जारी करने की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:52 IST
Reason: SelfAttested